उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-61 /2017/577/92-2-17-10जांच/2013

लखनऊ:: दिनांक:: 09 मई,2017

कार्यालय-ज्ञाप

श्री रामचन्द्र मौर्य, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर द्वारा कराये गये कतिपय सम्पर्क मार्गो के निर्माण कार्यो की टी0ए0सी0 जॉच में पायी गयी अनियमितताओं एवं शासकीय क्षति के लिए श्री मौर्य को प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-130/92(प्रकोष्ठ)/14-10जांच/13 दिनांक 10.04.2014 द्वारा अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुये अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ की जॉच आख्या उनके पत्र दिनांक 17-01-2015 द्वारा शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ की जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित दोनो आरोप स्थापित पाये जाने पर उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत शासन के पत्र दिनांक 26-06-2015 द्वारा अपचारी अधिकारी को जॉच आख्या की प्रति उपलब्ध कराते हुये जॉच आख्या में स्थापित पाये गये आरोपों पर अभ्यावेदन मांगा गया। अभ्यावेदन प्राप्त न होने पर शासन के पत्र दिनांक 28-03-2016 द्वारा अनुस्मारित कराया गया, किन्तु अपना अभ्यावेदन शासन में उपलब्ध नही कराया गया। जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 6,109.76 को श्री मौर्य द्वारा दिनांक 16-09-2014 को शासकीय कोष में जमा कर दिया गया। चूंकि अपचारी अधिकारी, श्री रामचन्द्र मौर्य अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31-10-2015 को सेवानिवृत्त हो गये। प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 6,109.76 के शासकीय कोष में जमा हो जाने तथा अपचारी अधिकारी, श्री रामचन्द्र मौर्य के सेवानिवृत्त हो जाने पर श्री मौर्य को प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर शेष नही रह गया।

3- अतएव एतदद्वारा श्री रामचन्द्र मौर्य, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-130/92 (प्रकोष्ठ)/14-10जांच/13 दिनांक 10.04.2014 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-61/2017/577(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री रामचन्द्र मौर्य, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, (स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।